क्रमांक–62

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग –दो

बुधवार, दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 17 ,1943)

कोरोना कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक व्यवस्था।

विधान सभा का आगामी सत्र सोमवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 तक आहूत किया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिसम्बर, 2021 सत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा है :–

1. माननीय मंत्रीगण, माननीय संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्यों के पी.एस.ओ. एवं फालो पायलट वाहन का विधान सभा परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. माननीय मंत्रीगण, माननीय संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्य के साथ केवल एक स्टॉफ को विधान सभा परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, किंतु उनको मुख्य परिसर (ए–ब्लाक) में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. विधान सभा भवन के मुख्य परिसर (ए–ब्लाक) में केवल माननीय मंत्रीगण, माननीय संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्यों को ही प्रवेश दिया जाएगा ।
4. माननीय सदस्यों को बैठकों के दिन प्रतिष्ठित दीर्घा/दर्शक दीर्घा का एक प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा एवं केवल माननीय सदस्यों के वाहन के लिये पार्किंग पास जारी किये जायेंगे, अन्य के लिये पार्किंग पास जारी नहीं किये जायेंगे।
5. सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे मास्क लगाकर ही विधान सभा में प्रवेश करें।
6. सदन की बैठक प्रारंभ होने के पूर्व माननीय सदस्यों का टेम्प्रेचर एवं ऑक्सीजन लेवल की जांच की जाएगी, अतः सभी से अनुरोध है कि कृपया पर्याप्त समय पूर्व विधान सभा पहुंचने का कष्ट करें।
7. सभी माननीय सदस्य कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा